तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/02/25	वकील अपी. अनुपस्थित। न्यायहित में अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दि. 09/04/25 को पेश हो।	
9/04/25	वकील अपी. अनु.। पीठासीन अधिकारी अन्य राज कार्य में होने से प्रकरण वास्ते सुनवाई / अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 4/06/25 को पूर्वादेशानुसार पेश हो।	
04/06/2025.	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलान्ट व अपीलार्थी अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दिनांक 19/01/2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा सीमांकन के आवेदन की प्रक्रिया के दौरान बिलानाम राजकीय भूमि पर प्रार्थी के अधिक्रमण को स्थापित करते हुए दिनांक 18/09/2020 को शास्ति अधिरोपित करते हुए बेदखली के आदेश को यथावत रखते हुए सेटलमेन्ट विभाग से पुनः नपती की छूट प्रदान की गई है। पैरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत व उचित कहते हुए अपील निरस्त करने का अनुरोध किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन तथा पैरोकार सरकार के तर्क पर मनन किया जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारित किया जाता है।	

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

	बनाम	

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. /

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
	संक्षेप में अपील में बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को भी सीमांकन के दौरान अपनी खातेदारी में होने का अधिकार बताया गया है जो तहसीलदार के आदेश व अपीलाधीन निर्णय के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित नहीं होता है। वस्तुतः अपीलार्थी द्वारा सीमा जानकारी की कार्यवाही के दौरान बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण की चेष्टा की गई है, जिसे निष्फल करते हुए पारित अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उदयपुर के दिनांक 19/01/2021 के निर्णय में हम कोई वैधानिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है। निर्णय आज दिनांक 04/06/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 04/06/2025 संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)		